FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0055 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/02/2026 13:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/02/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/02/2026 13:14:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 160 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** QWATAR NO., 04, PANCHAYAT SAMITI CAMPUS, SAWAIMADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMPRASAD MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMESHWAR LAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAKVIJAYPURA POST RAJWAS, NEWAI, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAKVIJAYPURA POST RAJWAS, NEWAI, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAGDISH PRASAD MEENA		पिता:LATE. JAMNALAL MEENA	1. JOLANDA POST MALARNA DUNGAR,MALARNA DUNGAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 14.02.2026 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र के पास एक व्यक्ति का फोन आया जिसने अपना नाम रामप्रसाद मीणा पुत्र श्री रामेश्वर लाल मीणा उम्र 51 वर्ष जाति मीणा निवासी गांव चकविजयपुरा पोस्ट रजवास तहसील निवाई जिला टौंक होने व ब्यूरो की हेल्प लाईन 1064 के माध्यम से फोन करना बताते हुए जयपुर आना बताया। जिस पर परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के लिए कहा गया। कार्यालय में शनिवार का राजकीय अवकाश था। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने कानि0 मनु शर्मा 111 को जरिये मोबाईल ऑफीस आने के निर्देश दिये व मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय पहुंचा तो ब्यूरो कार्यालय के मैन गेट पर दो व्यक्ति खडे मिले, जिनसे पूछने पर उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम रामप्रसाद मीणा बताते हुए उसके द्वारा ही फोन करना बताया तथा दूसरे ने अपना नाम शंकर लाल गुर्जर होना बताया। उक्त दोनो व्यक्तियों को साथ लेकर कार्यालय कक्ष में आया व कुछ देर बाद ही कानि0 मनु शर्मा 111 भी कार्यालय में उपस्थिति आ चुका है। परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने अपने पास से एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र जो अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित है पेश किया। जिसमें अंकित किया कि- मैं वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (ग्रामीण विभाग) द्वारा संचालित राजीविका परियोजना में BPM (ब्लॉक प्रभारी) ब्लॉक सवाई माधोपुर में कार्यरत हॅू। हमारे जिला परियोजना प्रबन्धक (DPM) अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद मीणा पिछले 2-3 माह से अनावश्यक नोटिस जारी कर जिले से कार्यमुक्त किये जाने के लिए डरा-धमका रहे है और मेरे साथी BPM (ब्लॉक प्रभारी) ब्लॉक खण्डार श्री मुलेन्द्र सिंह जादौन तथा ब्लॉक बौली श्री शंकर लाल गुर्जर को भी डरा-धमका रहे है साथ ही हम तीनो के करीब 5 लाख के T.A. व अन्य बिलो को पास नही कर रहे है। उक्त अधिकारी हम तीनो को यहां नौकरी करने देने व हमारे पेण्डिग बिलो को पास करने की एवज में तीनो से एक-एक लाख रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है। दिनांक13.02.2026 को उक्त अधिकारी ने पंचायत समिति स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर मुझसे BPM के रूप में नौकरी आराम से करने देना व T.A. व अन्य बिलो को पास करने के लिए 1 लाख रूपये मुझसे और मेरे साथी BPM ब्लॉक खण्डार व ब्लॉक बौली से भी 1-1 लाख रूपये लाकर देने के लिए मुझे धमकाया है। उक्त रिश्वती राशि की व्यवस्था उसने 3-4 दिन में करने की कहा है। मैं हमारे जिला परियोजना प्रबन्धक श्री जगदीश प्रसाद मीणा को रिश्वती राशि नही देना चाहता और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। उक्त अधिकारी से मेरी कोई उधारी व लेन-देन नही है न ही कोई रंजिश है। अतः महोदय से निवेदन है कानूनी कार्यवाही करवाये। परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए और बताया कि श्री जगदीश प्रसाद मीणा जिला परियोजना प्रबन्धक (DPM) नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेण्डिग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की ऐवज में हमसे 1,00,000-1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर हमे परेशान किया जा रहा है और डरा धमकाकर दोनो साथियों की रिश्वती राशि भी मुझे ही इक्ठ्ठा करके लाकर देने के लिए दबाव बना रहा है। उसने मुझसे मेरे और मेरे दोनो साथियों को नौकरी से कार्यमुक्त नही करने व टीए बिल व अन्य बिलो को पास करने की एवज में पूर्व में दिनांक13.02.2026 को तय किये अनुसार ही मेरे व मेरे दोनो बीपीएम साथियों के 1-1 लाख रूपये के हिसाब से मुझे डरा धमकाकर तीनो के 3 लाख रूपये मांगे थे और मेरे दोनो साथियों से मुझे ही लाकर देने के लिये कहा था। जिस पर मैने मेरे दोनो साथियों से बात की तो दोनो ने मुझे उक्त अधिकारी के खिलाफ एसीबी में शिकायत कर कार्यवाही करवाने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी थी और आज मेरा साथी शंकर लाल गुर्जर बीपीएम ब्लॉक बौली मेरे साथ उपस्थित आया है और दूसरा साथी मुलेन्द्र जादौन बीपीएम ब्लॉक खण्डार किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण हमारे साथ एसीबी कार्यालय में नही आ पाया है, लेकिन उसने कार्यवाही करवाने के लिए मुझे सहमति दे रखी है, क्योकि श्री जगदीश प्रसाद मीणा मुझसे ही दोनो से रिश्वत इकट्ठा कर लाने की बात की है और मुझसे ही बात करता है। श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा जारी किये गये नोटिसो की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर रहा हॅू। परिवादी राम प्रसाद मीणा के प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया उद्यापित कर रिश्वत मांगने का पाया जाता है। लिहाजा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रंनिग नोट का अवलोकन करवाया गया। इसके बाद कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर निकाल कर परिवादी राम प्रसाद मीणा को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालू व बन्द तथा वार्ता

रिकॉर्ड करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर श्री मनु शर्मा कानि. 111 का परिवादीगण से परिचय करवाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड HIKVISION कम्पनी 32 जीबी का डालकर खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बाद हिदायत परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि की मांग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लेवे तथा संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड कर परिस्थितिगत डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लें। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री मनु शर्मा कानि0 111 को परिवादी के साथ रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन में साथ जाने की हिदायत दी गई। इसके बाद परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं 2-3 दिन बिजी रहूंगा और आरोपी बहुत ही चतुर है वो मेरा पीछा भी करवा सकते है। इसलिए मेरा ब्यूरो कार्यालय में आना उचित नही होगा। परिवादी द्वारा 2-3 दिन बाद गोपनीय सत्यापन की कहने व ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने से आरोपी को शक होने का ध्यान में रखते हुए परिवादी को दिया गया डिजिटल वॉईसरिकॉर्डर वापस लेकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया व परिवादी को हिदायत दी गई की जब भी गोपनीय सत्यापन कार्यवाही करावे तो मन् अति0 पुलिस अधीक्षक या श्री मनु शर्मा कानि0 को फोन कर लेवे तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक17.02.2026 को परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा का कानि0 मनु शर्मा के मोबाईल पर वार्ता होने व रिश्वत मांग का दिनांक18.02.2026 को गोपनीय सत्यापन हेतु मनु शर्मा को सवाई माधोपुर बुलाने बाबत् कानि0 श्री मनु शर्मा द्वारा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत करने पर मनु शर्मा को कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु दिनांक18.02.2026 को परिवादी के पास सवाई माधोपुर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक18.02.2026 को समय करीब 5.50 पीएम पर कानि0 श्री मनु शर्मा ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से सुबह रवाना होकर रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर पहुंचकर परिवादी से फोन पर सम्पर्क किया तो परिवादी रेल्वे स्टेशन के बाहर मिला। मैंने परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर आरोपी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को पंचायत समिति सवाई माधोपुर के कार्यालय में रवाना किया तथा मैं उक्त कार्यालय के पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए चाय की थडी पर खडा हो गया, कुछ समय पश्चात् परिवादी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर आया व मुझे डिजिटल वॉईस रिकार्डर बंद कर सुपुर्द कर बताया कि मेरी श्री जगदीश प्रसाद मीणा जिला परियोजना प्रबन्धक (DPM) से बात हुई है उसको मैने रिकार्डर में रिकार्ड करली है। हमे नौकरी आराम से करने देने व TA व अन्य बिलो को पास करने के लिए 1 लाख रूपये मुझसे और मेरे साथी BPMब्लॉक खण्डार व ब्लॉक बौली से भी 1-1 लाख रूपये उनसे इकट्ठा कर लाकर देने के लिए मुझे धमकाया है। कानि0 मनु शर्मा ने बताया कि परिवादी जरूरी कार्य होने के कारण जयपुर नही आया। जिस पर परिवादी से मोबाईल पर वार्ता की गई तो परिवादी ने कहा कि मेरे जरूरी कार्य होने के कारण मैं जयपुर नही आया और मुझे आरोपी को देने के लिए 2-3 दिन में रिश्वत के रूपयो की भी व्यवस्था करनी है। डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी रामप्रसाद मीणा व संदिग्ध आरोपी के मध्य रिश्वत मांगने से संबंधित वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। जिसकी आईन्दा स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दिनांक23.02.2026 को समय करीब 4.30 पीएम पर परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर बताया कि श्री जगदीश प्रसाद मीणा डीपीएम मुझसे फोन पर बात कर मिलने के लिए 1-2 दिन से बुला रहा है। मैने आरोपी को देने के लिए एक लाख रूपये की रिश्वत के रूपयो की व्यवस्था अब करली है। आप कल दिनांक24.02.2026 को सुबह सवाई माधोपुर आ जाओं मैं रिश्वत के रूपयों की व्यवस्था कर यही मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक24.02.2026 को समय करीब 6.30 एएम पर मन् अति0पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र मय श्री रामजीलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजकुमार हैड कानि0 79, श्री आशीष कानि. 208, श्री लालू सैनी कानि0 418, श्री बंशीधर कानि0 24 व मनु कानि. 111 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मयंक टांक मय ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहनो मय चालको के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 10.30 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराह जाप्ता के जरिये सरकारी वाहनो से परिवादी के बतायेनुसार राधा कृष्ण मन्दिर, मीणा कॉलोनी, सवाई माधोपुर के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी रामप्रसाद मीणा उपस्थित मिला। परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा को सरकारी वाहन में बैठाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात् समय करीब 11.05 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा पुत्र श्री रामेश्वर लाल मीणा उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम चकविजयपुरा पोस्ट रजवास तह. निवाई जिला टोक को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 200 नोट की 2 गड्डी कुल राशि 1,00,000 रूपये निकालकर रिश्वत राशि के

रूप में पेश किये। उक्त रिश्वती नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री आशीष कानि0 208 से सरकारी गाडी RJ-14- UL- 6419 के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में राधा कृष्ण मन्दिर, मीणा कॉलोनी परिसर के पास सरकारी वाहन की बीच वाली सीट पर अखबार बिछाकर उक्त 1,00,000/-रूपये के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हिमांशु मीना से लिवाई गई तो परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई। परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा की पहनी हुई जेकेट की साईड की बांई जेब में श्री आशीष कानि0 208 से रिश्वती राशि रखवाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको देवें तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन् अति0पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल कर ट्रेप पार्टी को मुकर्रर ईशारा करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए प्लास्टिक के एक गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर की एक चम्मच डालकर घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री आशीष कानि0 208 के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उसको तथा प्लास्टिक के गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री आशीष कानि0 208 से गुलाबी घोल को फिकवाकर उसके हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई तथा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु आदि नहीं छोडी़ गई। गवाहान व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाले नये प्लास्टिक के गिलास व नई कांच की शीशीयों को भी अच्छी तरह साफ करवाकर तथा सुखा कर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा को सुपुर्द किया तथा परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर करने की हिदायत दी गई। श्री आशीष कानि0 208 को फिनोपथलीन पाउडर की शीशी सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर वही छोडा गया। इसके पश्चात् समय करीब 11.45 एएम पर मन् अति0पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र मय श्री रामजीलाल उप निरीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री राजकुमार हैड कानि0 79, श्री लालू सैनी कानि0 418 श्री बंशीधर कानि0 24 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु मीना व श्री मयंक टांक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहनो मय चालको के वास्ते ट्रेप कार्यवाही पंचायत समिति सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुये तथा परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा को उसकी मोटर साईकिल से श्री मनु कानि. 111 के साथ मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 11.55 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराह जाप्ता के जरिये सरकारी वाहनो से पंचायत समिति सवाई माधोपुर के पास पहुंचा, जंहा पर परिवादी श्री राम प्रसाद मीणा व श्री मनु कानि.111 भी उसकी मोटर साईकिल से पहुंचे तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत के लेन-देन एवं होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी के पास उसके कार्यालय में जाने व वार्ता रिकॉर्डकरने के लिए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर वार्ता रिकॉर्डर करने की हिदायत देकर पंचायत समिति में रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत दी जाकर पंचायत समिति के आस-पास पहुंचकर मुकीम होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके पश्चात् समय करीब 12.05 पीएम पर परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने क्वार्टर नं. 4, पंचायत समिति केम्पस, सवाई माधोपुर के मैन गेट से बाहर आकर रिश्वत लेन-देन का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के क्वार्टर नं. 4, पंचायत समिति केम्पस, सवाई माधोपुर के सामने परिवादी के पास पहुंचकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा ने मुझसे अभी अपने क्वार्टर में स्थित ड्राईग रूम (बैठक कक्ष) में बातचीत कर तय शुदा रिश्वती राशि मांग कर 1,00,000/-रूपये अपने हाथो में लेकर मुझे कहा कि आप जाओ। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के साथ उक्त क्वार्टर के ड्राईंग रूम मे अन्दर प्रवेश किया जहां पर दो व्यक्ति सोफे पर बैठे हुए मिले व ट्रेप पार्टी के अन्दर आते ही सामने सोफे पर बैठे एक व्यक्ति ने जिसके हाथो में रूपयो की दो गड्डी थी को ट्रेप पार्टी के सामने ही सोफे पर पटक दिये। जिन्हे गवाह श्री हिमांशु मीणा से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके पश्चात् सामने सोफे के पास खडे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसके पास रिश्वती

राशि थी और ट्रेप पार्टी को देखकर रिश्वती राशि सोफे पर पटक दी थी की तरफ परिवादी रामप्रसाद मीणा ने ईशारा कर बताया कि यह श्री जगदीश प्रसाद मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर है जिसने अभी कुछ देर पहले मुझसे मांगने पर मैंने तय शुदा रिश्वती राशि एक लाख इन्हे दी है। इस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने दोनो व्यक्तियों को अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र स्व0श्री जमनालाल मीणा उम्र 45 वर्ष जाति मीणा निवासी गाव जोलन्दा पोस्ट मलारना डूंगर पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नं. 221, विवेकानन्द नगर कोटा, हाल निवास सरकारी क्वार्टर नं. 4, पंचायत समिति केम्पस, सवाई माधोपुर एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पंखी लाल मीणा पुत्र श्री रामकेश मीणा उम्र 32 साल निवासीस गांव सुन्दरी तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर होना व श्री जगदीश प्रसाद मीणा का साला होना बताया। आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा विकास अधिकारी से परिवादी रामप्रसाद मीणा से किस बात के पैसे लेने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास आज अभी कुछ देर पहले रामप्रसाद मीणा जो कि राजीविका ब्लॉक सवाई माधोपुर में बीपीएम (ब्लॉक प्रभारी) के पद पर पदस्थापित है, मेरे क्वार्टर में आया व इसने एक लाख रूपये मेरे ड्राईग रूम में सोफे पर कब रख दिये और चला गया मेरी जानकारी में नही है और कुछ देर बाद आप लोग आ गये। इस पर मौजूद परिवादी राम प्रसाद मीणा ने पूछने पर बताया कि बीडीओ साहब झूठ बोल रहे है। बीडीओ साहब ने मुझे व मेरे साथी बोली बीपीएम श्री शंकर लाल गूर्जर एवं खण्डार बीपीएम श्री मुलेन्द्र सिंह जादौन को बीपीएम की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेण्डिग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की ऐवज में तीनो से 1,00,000-1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर हमे परेशान किया जा रहा है और डरा धमकाकर दोनो साथियों की रिश्वती राशि भी मुझे ही इक्ठ्ठा करके लाकर देने के लिए दबाव बना रहा है। दिनांक18.02.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मैं इनके पास आया तो इन्होने मुझसे मेरे और मेरे दोनो साथियों को नौकरी से कार्यमुक्त नही करने व टीए बिल व अन्य बिलो को पास करने की एवज में पूर्व में दिनांक13.02.2026 को तय किये अनुसार ही मेरे व मेरे दोनो बीपीएम साथियों के 1-1 लाख रूपये के हिसाब से डरा धमकाकर तीनो के 3 लाख रूपये मांगे थे। आज तय अनुसार मैं मेरे हिस्से के एक लाख रूपये इन्हे देने पंचायत समिति में आया तो ये नही मिले तो मैने इन्हे इनके मोबाईल नं. पर फोन किया तो इन्होने पंचायत समिति परिसर में बने अपने क्वार्टर में खाना खाने के लिए आने बाबत् बताया। मैं पंचायत समिति परिसर में बने इनके क्वार्टर के सामने खडा था तो इन्होने मुझे आवाज देकर बुलाया तो मैं इनके क्वार्टर में गया तो इनके द्वारा पैसे मांगने पर ही मैने अपने पास से एक लाख रूपये रिश्वती राशि इनको दी जो इन्होने अपने हाथो में लेकर मुझे कहा कि उन दोनो के भी इतने ही लाना है और दिए गये नोटिसो और पेण्डिग टीए व अन्य बिलो के संबंध में आश्वस्त किया जाकर मुझे जाने के लिए कहा तो मैने बाहर आकर मैंने आपको ईशारा कर दिया। इस पर पुनः श्री जगदीश प्रसाद मीणा विकास अधिकारी से पूछा तो कुछ नही बोला व गर्दन नीची करके गलती स्वीकार कर चुप ही रहा। इसके पश्चात् गवाह श्री हिमांशु मीणा से आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के क्वार्टर के ड्राईग रूम में रखे सोफे से उठवाई गई रिश्वती राशि को दोनो गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो दोनो गवाहान ने फर्द पेशकशी से मिलान कर वे ही 500-500 रूपये के 200 नोट की 2 गड्डी कुल राशि 1,00,000 हुबहु होना बताई। उक्त रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये के नोटो को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा एवं उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें क्वार्टर से स्वच्छ पानी की बोतल से दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में पानी डालकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला सा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला सा होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R- 2अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के मिश्रण मे आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला सा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला सा होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पानी की बोतल से पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के मिश्रण मे आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के उक्त सोफे जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई थी के उस हिस्से को एक सफेद कपडे की चिन्दी से रगडकर पौछकर उक्त मिश्रण में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को

दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा S-1 व S-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी तथा आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त चिन्दी को सुखवाकर चिन्दी पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक कपड़े की थैली में सील कर कपड़े की थैली पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''C'' अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई। घटनास्थल पर श्री लालू सैनी कानि0 418 से विभागीय विडियो कैमरे से विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। रिकॉर्डिंग मे काम में लिये गये एसडी कार्ड को पृथक से जब्त कर शामिल कार्यवाही किया जावेगा। उक्त कार्यवाही स्थल पर अग्रिम सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु माकूल व्यवस्था नही होने तथा पास में ही पुलिस थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर होने के कारण मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं श्री जगदीश प्रसाद मीणा तथा जब्त शुदा रिश्वती राशि, आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप मय सरकारी वाहन/चालक के रवाना होकर पुलिस थाना मानटाउन सवाईमाधोपुर आया व अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात् परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तोर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा से दिनांक18.02.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं आज दिनांक24.2.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन उसके व परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा ने अपनी नमूना आवाज देने से इंकार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार की गई। इसके पश्चात् आरोपी जगदीश प्रसाद मीणा से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक-पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा को परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा व उनके साथी बौली बीपीएम श्री शंकर लाल गूर्जर एवं खण्डार बीपीएम श्री मुलेन्द्र सिंह जादौन को बीपीएम की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेण्डिग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की ऐवज में परिवादी से वक्तरिश्वत मांग सत्यापन उद्यापित करके तीनो के1,00,000-1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर आज दिनांक 24.02.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुर परिवादी से 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 308(2) बीएनएस के अपराध से आगाह कर आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुरको हस्बकायदा धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानो के अनुसार आरोपी को संज्ञेय अपराध व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिए, इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए एवं इस अपराध के संबंधित साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी एवं आश्वासन देने से निवारित करने की पूर्ण संभावना होने से गिरफ्तार किया जाना आवश्यक होने से आरोपी को हस्बकायदा गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मंयक से लिवाई गई तो आरोपी के पासपहनी हुई पेन्ट की जेब मेंएक मोबाईल काले रंग का एपल कम्पनीकम्पनी सिम नम्बर जिसके पासवर्ड 978278व आईएमईआई नं स्लोट- वस्लोट-2- 7 आरोपी से मोबाईल के अलावा और कोई दस्तावेज/वस्तु आदि नहीं मिली। मोबाईल को अनुसंधान हेतु कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणाकी गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती चायना देवी के मोबाईल नम्बर ! पर दी गई। प्रकरण में घटना स्थल नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, सवाईमाधोपुर कार्यालय से परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा व उसके बीपीएम साथी श्री शंकर लाल गुर्जर एवं श्री मुलेन्द्र जादौन के यात्रा भत्ता एवं अन्य बिलो एवं नोटिसो व दिये गये प्रतिउत्तर की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा की आरोपी श्री जगदीष प्रसाद मीणा हाल ब्लॉकविकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुरके मध्य रिश्वती मांग सत्यापन के समय आमने-सामने हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में दिनांक 18.02.2026 को रिकॉर्ड की गई थी तथा परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा की आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुर के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई रुबरु वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में दिनांक 24.02.2026 को रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया। उक्त डिजिटल वॉईसरिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा ने स्वयं एवं आरोपी श्री जगदीष प्रसाद मीणा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुर की आवाज होना पहचान की तथा वार्ता रूपान्तरण को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा द्वारा सही होना स्वीकार किया। ट्रेप

कार्यवाही के दौरान मौके पर रिश्वत लेन देन के पश्चात् रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी विभागीय डिजिटल विडियो रिकॉर्डर/कैमरा मय एसडी कार्ड में करवायी गयी थी कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड को लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी के समक्ष चलाकर कार्ड में वक्त ट्रेप कार्यवाही विडियो रिकॉर्डिंग होना सुनिश्चित किया। रिकॉर्ड वार्ताओं व विडियो क्लिप की डीवीडी बनवाने हेतु कार्यालय से 05 डीवीडी मंगवायी जाकर डिविडियां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से 05 डिवीडी तैयार की जाकर पांचों डिविडियो में वाईस क्लिपें कुल 02 (Folder1में सेव) व विडियो क्लिप कुल 01(PRIVATE Folder में STREAM Folder सेव) होना सुनिश्चित कर डिवीडियों पर क्रमशः मार्क A-1,A-2,A-3,A-4, A-5 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन तथा लेन-देन वार्ता के मैमोरी कार्ड व विभागीय डिजिटल विडियो रिकॉर्डर/कैमरा मय एसडी कार्ड को विभागीय लेपटोप से जोडकर मैमोरी कार्ड में उपलब्ध वॉईस फाईल्स व विडियो क्लिप्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। तत्पश्चात् डीवीडी मार्क मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5को पृथक-पृथक वॉईस फाईल्स व विडियो क्लिप्स का पृथक-पृथक एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्तानुसार मैमोरी कार्डो व डीवीडीयों की निकाली गई हैश वैल्यू का मिलान होना पाया गया। उक्त में से तीनडिवीडी मार्क A-1, A-2, A-3, को अलग-अलग डिवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः A-1, A-2, (न्यायालय हेतु) मार्क A-3,(आरोपी हेतु) व A-4,(एडीपी हेतु खुली) अंकित कर थैलियों पर भी स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। डिवीडी मार्क A-5 (अनुसंधान अधिकारी हेतु) खुली रखी गई। वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड HIKVISION 32 GB को प्लास्टिक कवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्डमोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा विडियो रिकाॅर्डिंग से सम्बन्धित मूल सोर्स एसडी कार्ड DAICHI32GB को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क SD 1 अंकित कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), पंचायत समिति सवाई माधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाई माधोपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी को उद्यापित कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आपराधिक आशय से परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा व उनके साथी बौली बीपीएम श्री शंकर लाल गूर्जर एवं खण्डार बीपीएम श्री मुलेन्द्र सिंह जादौन को बीपीएम की नौकरी से कार्यमुक्त नहीं करने और पेण्डिग यात्रा भत्ता व अन्य बिलों को पास करने की ऐवज में परिवादी से दिनांक18.02.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन उद्यापित करके तीनो के1,00,000-1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 24.02.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक जिला सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी श्री रामप्रसाद मीणा से 1,00,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 308(2) बीएनएस में कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र स्व0श्री जमनालाल मीणा उम्र 45 वर्ष जाति मीणा निवासी गाव जोलन्दा पोस्ट मलारना डूंगर पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नं. 221, विवेकानन्द नगर कोटा, हाल निवास सरकारी क्वार्टर नं. 4, पंचायत समिति केम्पस, सवाई माधोपुर हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाई माधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाई माधोपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय, (भूपेन्द्र) अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 308(2) बीएनएस 2023 में आरोपी श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र स्व0श्री जमनालाल मीणा उम्र 45 वर्ष जाति मीणा निवासी गाव जोलन्दा पोस्ट मलारना डूंगर पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मकान नं. 221, विवेकानन्द नगर कोटा, हाल निवास सरकारी क्वार्टर नं. 4, पंचायत समिति केम्पस, सवाई माधोपुर हाल ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) पंचायत समिति सवाई माधोपुर अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबन्धक सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 364 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 408-11 दिनांक 26.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो, रेंज आयुक्तालय जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/02/2026 13:17:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)